न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—224 / 2019 / 225 (2019 / 00224)

1. रामदेव पुत्र धन्ना, जाति जाट, निवासी ग्राम भदूण, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. पूसारासम पुत्र हरलाल,
2. घासीराम पुत्र हरलाल,
3. श्रीमती दाखा पुत्री जगन्नाथ,
   समस्त जाति जाट, नि0 जाजडों की ढाणी, ग्राम भदूण, तह0 रूपनगढ, जिला अजमेर ।
4. रतनलाल पुत्र मंगलाराम,
5. लिखमाराम पुत्र रामा,
6. भंवर पुत्र माधु,
7. श्रवण पुत्र माधू,
8. श्रीमती मूली पत्नि माधु,
9. हरकरण पुत्र लक्ष्मणराम (मृतक) जरिये वारिसानः—
   9 / 1— संतु उर्फ संतोष पुत्री हरकरण,
   9 / 2— मोती पुत्र हरकरण,
   9 / 3— सीतादेवी पुत्री हरकरण,
   9 / 4— रमेश पुत्र हरकरण,
10. बन्नाराम पुत्र लक्ष्मणराम,
11. छीतर पुत्र हीरा (मृतक) जरिये वारिसानः—
    11 / 1— तीजा पुत्री छीतर,
    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भदूण, तह0 रूपनगढ, जिला अजमेर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
13. पटवारी हल्का भदूण, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़, दिनांक 11.2.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 11 / 2016.

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश साहू, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुण्डाराम जाट, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. श्री सुनील कड़वासरा, वकील रेस्पो0 संख्या 4
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 12 व 13.

निर्णय

दिनांकः— 13.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 11.2. 2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अधी0न्याया0 में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण जाजड़ों की ढाणी, ग्राम भदूण, तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर के निवासी है । प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भदूण, तह0 रूपनगढ़ में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण के मकान आदि भी बने हुए है । प्रार्थीगण की भूमि का विवरण इस प्रकार है–खाता संख्या नया 159 पुराना 129 के खसरा नंबर 451 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 452 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 453 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 454 रकबा 41 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 43 बीघा 1 बिस्वा भूमि है । प्रार्थीगण की उक्त भूमि के लगते हुए ही अप्रार्थी संख्या 3 से 10 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 397 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 398 रकबा 10 बिस्वा भूमि है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 392 जो कि राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं है, परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खसरा संख्या 392/1 व 392/2 अंकित है । अप्रार्थीगण संख्या 3 से 10 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 397 व 398 के सामने लगते हुए ही रूपनगढ़ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से प्रार्थीगण के खेतों तक आने जाने का कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी पर आने जाने हेतु कोई भी रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण को स्वंय के खेतों पर खेती का कार्य करने एवं आने जाने में काफी कठिनाई होती है । इसके अलावा प्रार्थीगण के मकान भी उक्त वर्णित आराजी पर स्थिति होने से प्रार्थीगण को उपयोग उपभोग एवं आने जाने में काफी परेशानी होती है । अन्त में प्रार्थीगण की और से प्रार्थना की गई कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 392, 397 एवं 398 की भूमि मे से उक्त खसरों की बाउण्डरी के सहारे–सहारे संलग्न नक्शे में लाल स्याही से ए से बी स्थान तक की लंबाई एवं 20 फुट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थीगण को डी0एल0सी0 दर से दिलाये जाने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने आदेश दिनां क11.2.2017 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गोर नहीं किया कि अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत करके रेस्पो0 द्वारा चाहा गया रास्ता उन्हें दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति एवं ऐतराज नहीं है जबकि अपीलांट के अधिवक्ता को बिना अपीलांट की सहमति के आपत्ति एवं ऐतराज प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । इस कारण अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती है । पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट दिनांक 3.1.2017 को तैयार करके प्रस्तुत की है । उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रार्थी को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं बिना सूचना दिये ही अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है जबकि मौका रिपोर्ट तहसीलदार अथवा एल0आर0 रेंक के अधिकारी से तलब की जानी चाहिये थी । इस कारण तहसीलदार को स्वंय मौके पर जाकर जांच करने के उपरांत ही मौका रिपोर्ट पेश करनी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब किये ही पटवारी

हल्का की मौका रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 451, 452, 453, 454 पर जाने के लिये खसरा नंबर 392, 397 व 398 में से रास्ता स्वीकार करने का निवेदन किया किन्तु अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 की प्रार्थना की परे जाकर अपीलांट की खातेदारी की भूमि में से नवीन रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है जबकि रेस्पो0 की खातेदारी की आराजी पर आने जाने के लिये पूर्व में ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है इस कारण जब वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के अंतर्गत नवीन रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने धारा 251–ए के प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है । आगे उन्होंने यह भी कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा रास्ते के आदेश की पालना में बंटवारे की तरमीम गलत रूप से कर दी है जो कि क्षैत्राधिकार से बाहर है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं कानूनी प्रावधानों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.2.2017 की जानकारी अपीलांट के अधिव0क्ता ने अपीलांट को नहीं दी जिससे अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी । सर्वप्रथम जानकारी हाल ही में अपीलांट को गांव में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30.6.2019 को बताने पर हुई जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 1.7.2019 को रूपनगढ़ जाकर आदेश की जानकारी की तथा नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 1.7.2019 को ही नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । प्रार्थीगण की भूमि का विवरण इस प्रकार है–खाता संख्या नया 159 पुराना 129 के खसरा नंबर 451 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 452 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 453 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 454 रकबा 41 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 43 बीघा 1 बिस्वा भूमि है । प्रार्थीगण की उक्त भूमि के लगते हुए ही अप्रार्थी संख्या 3 से 10 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 397 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 398 रकबा 10 बिस्वा भूमि है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 392 जो कि राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं है, परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खसरा संख्या 392/1 व 392/2 अंकित है । अप्रार्थीगण संख्या 3 से 10 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 397 व 398 के सामने लगते हुए ही रूपनगढ़ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से प्रार्थीगण के खेतों तक आने जाने का कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी पर आने जाने हेतु कोई भी रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण को स्वंय के खेतों पर खेती का कार्य करने एवं आने जाने में काफी कठिनाई होती है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व से मौका रिपोर्ट तलब की है जिस पर तहसीलदार, रूपनगढ़ ने दिनांक 3.1.2017 को मौका रिपोर्ट अधी0न्याया0 को प्रेषित की है । उक्त मौका रिपोर्ट में भी आवेदित भूमि में आवागमन हेतु वर्तमान में मौके पर व राजस्व नक्शे में कोई रास्ता नहीं होने का अंकन किया गया है । उक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि खसरा नंबर 397 जिसमे

से रास्ता चाहा गया है मौके पर आज दिनांक को पड़त है । खसरा नंबर 392/1, 392/2 में रबी की फसल रजका, गेहूँ, आदि की बुवाई हो रखी है, खसरा नंबर 397 के सहखाततेदार छीतर/हीरा जाट के मौके पर रास्ता संबंधी कोई आपत्ति नहीं की है । राजस्व रिकार्ड यथा नक्शा एवं मौका अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि के आवागमन हेतु खसरा नंबर 397, 392/1, 392/2 में होकर ही प्रस्तावित रास्ता अधिक निकटतम प्रतीत होता है । उक्त रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 की आराजी में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है । अधी0न्याया0 ने इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखकर रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है। आगे उन्होंने कथन किया कि अपीलीांट के अभिभाषक ने गलत तरमीम बाबत् जो कथन किया है, उसका कोई प्रमाण नहीं है । आगे यह भी बताया कि गलत तरमीम की दुरूस्ती हेतु अधी0न्याया0 में पृथक से कार्यवाही भी कर दी गई है । अतः इस प्रकरण में तरमीम बाबत् कथन का कोई अर्थ नहीं है । यह कथन मामले से सुसंगत नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–राज0काश्त0अधि0 1055 के तहत पेश कर स्वंय की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 451 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 452 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 453 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 454 रकबा 41 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 43 बीघा 1 बिस्वा भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 392, 397 व 398 में से उक्त खसरों की बाउण्डरी के सहारे–सहारे संलग्न नक्शे में लाल स्याही से ए से बी स्थान तक की लंबाई एवं 20 फुट चौड़ा रास्ते की मांग की थी । उक्त प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने मौका रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश पारित किये जिस पर तहसीलदार, रूपनगढ़ ने पत्रांक भू0अ0/2017/18 दिनांक 3.1. 2017 द्वारा उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट भिजवाई है । उक्त रिपोर्ट में यह अंकित है कि'' वादीगण ने अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि में आवागमन हु ग्राम भदूण के खसरा नंबर 392/1, 392/2, 397 की उत्तरी मेड़ (जो पूर्व–पश्चिम की तरफ लम्वत् है) पर रास्ता चाहा गया है । ग्राम भदूण के खसरा नंबर 397 रकबा 18–12–00 भूमि लिखमा/रामा हि0 1/3, भंवर वगै0 पि0 माधू, हरकरण, बन्ना पि0 लक्ष्मण हि0 1/3, छीतर/हीरा हि0 1/3 कौम जाट सा0 भदूण के नाम, खसरा नंबर 392/1 रतना/मंगला जाट, खसरा नंबर 392/2 रामदेव/धन्ना जाट के नाम खातेदारी में दर्ज है । आवेदित भूमि में आवागमन हेतु वर्तमान में मौके पर व राजस्व नक्शे में कोई रासता नहीं है । खसरा नंबर 397 जिसमें से रास्ता चाहा गया है मौके पर आज दिनांक तक पड़त है । खसरा नंबर 392/1, 392/2 मं रबी की फसल रजका, गेहॅ आदि की बुवाई हो रखी है । खसरा नंबर 397 के सहखातेदार छीतर/हीरा जाट के मौके पर रास्ता संबंधी कोई आपत्ति नहीं की । राजस्व रिकार्ड यथा नक्शा एवं मौका अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि के आवागमन हेतु खसरा नंबर 397, 392/1, 392/2 में होकर ही प्रस्तावित रास्ता अधिक निकटतम प्रतीत होता है ।

आवेदित भूमि के आवागमन हेतु नक्शा व मौका अनुसार कोई रास्ता वर्तमान में नहीं है । '' उक्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु मौके पर कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं है न ही अपीलांट ने अपनी अपील में एवं अधी0न्याया0 के समक्ष किसी वैकल्पिक रास्ते के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किये है । रिकार्ड अवलोकन से यह जाहिर नहीं होतजा है कि पटवारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पालना में बंटवारे की गलत तरमीम की गई है । यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जावे कि पटवारी/तहसीलदार द्वारा गलत तरमीम की गई है तो इसकी दुरूस्ती हेतु सक्षम स्तर पर चाराजोही की जा सकती है तथा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार इस बाबत् सक्षम स्तर पर चाराजोही कर भी दी गई है । अतः इस स्तर पर इस बाबत् कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर, मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.2.2017 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 13.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर